डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश

DR. A.P.J. ABDUL KALAM TECHNICAL UNIVERSITY

सेक्टर-11, जानकीपुरम विस्तार योजना, लखनऊ-226031

पत्रांक: ए0के0टी0यू0/कुस0का0/स्था0/2022/16806 दिनांक: 07 जून 2022

सेवा में,

निदेशक/प्राचार्य

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त अभियंत्रण एवं व्यवसायिक संस्थान।

विषय:-उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) के अन्तर्गत आर्थिक सहयोग प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया शासन के फाईल नं0-16-1099/21/2022-1-541/175821/2022 दिनांक 09.06.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त के संदर्भ में अवगत कराना है कि शासन के पत्र दिनांक 09.06.2022 के साथ संलग्न महिला बाल विकास अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन के पत्र सं0-382/60-1-22-1/13(02)/21 दिनांक 01.06.2022 प्रति संलग्न द्वारा उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) के संशोधित प्रावधानों के अनुरूप योजना के क्रियान्वयन के संबंध में यथावश्यक कार्यवाही के निर्देश दिये गयें है।

अत: आपसे अपेक्षा है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक:-यथोक्त

भवदीय,

(नन्द लाल सिंह)
कुलसचिव

प्रतिलिपि:-उप सचिव, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन, लखऊ को शासन के पत्र दिनांक 09.06.2022 के संदर्भ में सूचनार्थ।

(नन्द लाल सिंह)
कुलसचिव

प्रेषक,

कुलदीप बाबू,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. कुलसचिव, ए0 के0 टी0 यू0, लखनऊ।
2. कुलसचिव, एम0 एम0 एम0 यू0 टी0, गोरखपुर ।
3. कुलसचिव, एच0 बी0 टी0 यू0, कानपुर।
4. निदेशक, यू0 पी0 टी0 टी0 आई0, कानपुर।
5. निदेशक, के0 एन0 आई0 टी0, सुल्तानपुर।
6. निदेशक, बी0 आई0 ई0 टी0, झाँसी।
7. निदेशक, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, आजमगढ़/अम्बेडकरनगर/मैनपुरी/सोनभद्र/ बाँदा/कन्नौज/बिजनौर ।

<u>प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1</u> **<u>लखनऊ:दिनांक 09 जून, 2022</u>**

विषय- उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) के अन्तर्गत आर्थिक सहयोग प्रदान किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महिला एवं बाल विकास अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या 382/60-1-22-1/13(02)/21 दिनांक 01.06.2022 की छायाप्रति प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि कृपया उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) के संशोधित प्रावधानों के अनुरूप योजना के क्रियान्वयन के सम्बंध में यथावश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

<u>संलग्नक- यथोक्त।</u>

भवदीय,
Signed by कुलदीप बाबू
Date: 08-06-2022 10:30:52
Reason: Approved
(कुलदीप बाबू)
उप सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव-</u>

प्रतिलिपि प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-2/3, उत्तर प्रदेश शासन को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

DR/AR(E)

आज्ञा से,

(कुलदीप बाबू)
उप सचिव।

सुशील 14.06.22 AR

3577 13/6/22

Reg. 14/6/2022

AR (Est.)

DR 13/6/22

4532 14.06.22

1684

E-2132496/2022 16-1099/21/2022

संख्या 1005 सोलह-प्रा०-शि०-1-2022 संख्या........प्रमुख सचिव/व्या.शि.कौ.वि./प्रा.शि./2022

संख्या– 382 /60–1–22–1/13(02)/21

प्रेषक,

अनीता सी. मेश्राम,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

VS(S)

02.06.22

(सुभाष चन्द्र शर्मा)
प्रमुख सचिव
प्राविधिक शिक्षा व्यावसायिक
शिक्षा तथा कौशल विकास विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
महिला कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग–1 लखनऊ: दिनांक 31 मई, 2022

विषयः– "उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य)" के अन्तर्गत आर्थिक सहयोग प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र स0–122/निदे0म0क0/प्रोबे0/बा0से0यो0–ब0अ0 (सा0) /2022–23, दिनांक 21.04.2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2– 'उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य)' के क्रियान्वयन में आ रही व्यवहारिक कठिनाईयों के परिप्रेक्ष्य में योजना के मूल शासनादेश संख्या–1067/60–1–21–1/13(02)/21, दिनांक 06.08.2021 के सगत अंशों में निम्नवत् संशोधन किया जाता है :–

(i) **शासनादेश का बिन्दु संख्या–1 (क) (ii):–**

मूल प्रावधान :– "18 से 23 वर्ष तक की आयु के ऐसे किशोर जिनके माता–पिता दोनों, माता या पिता में से किसी एक की अथवा वैध अभिभावकों की मृत्यु हो गयी है, उनको कक्षा–12 तक शिक्षा पूर्ण करने के उपरान्त राजकीय महाविद्यालय, विश्वविद्यालय अथवा तकनीकी संस्थान से स्नातक डिग्री अथवा डिप्लोमा प्राप्त करने वाले एवं NEET, JEE, CLAT, जैसे राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षायें उत्तीर्ण करने वाले मेधावी छात्रों को 23 वर्ष की आयु पूरी होने या स्नातक शिक्षा अथवा मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्थान से डिप्लोमा प्राप्त करने में जो भी पहले हो तक इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया जायेगा।"

5917/VSTG22
D.S.
02/06/2022

(सुनील कुमार चौधरी)
विशेष सचिव
प्राविधिक शिक्षा विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

SO
03.6.22

संशोधित प्रावधानः– "18 से 23 वर्ष तक की आयु के ऐसे किशोर जिनके माता–पिता दोनों, माता या पिता में से किसी एक की अथवा वैध अभिभावकों की मृत्यु हो गयी है, उनको कक्षा–12 तक शिक्षा पूर्ण करने के उपरान्त **राजकीय/मान्यता प्राप्त** महाविद्यालय, विश्वविद्यालय अथवा तकनीकी संस्थान से स्नातक डिग्री अथवा डिप्लोमा प्राप्त करने वाले एवं NEET, JEE,

.......2

CLAT. जैसे राष्ट्रीय एव राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षायें उत्तीर्ण करने वाले मेधावी छात्रों को 23 वर्ष की आयु पूरी होने या स्नातक शिक्षा अथवा मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्थान से डिप्लोमा प्राप्त करने में जो भी पहले हो तक इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया जायेगा।"

(ii) **शासनादेश का बिन्दु संख्या–11:–**

मूल प्रावधान :– "लाभार्थियों को दी जाने वाली धनराशि वर्ष में 02 छमाही किस्तों में प्रेषित की जायेगी।"

संशोधित प्रावधान:– "लाभार्थियों को दी जाने वाली धनराशि वर्ष में 04 **तिमाही** किस्तों में प्रेषित की जायेगी।"

3– शासनादेश संख्या–1067/60–1–21–1/13(02)/21, दिनांक 06.08.2021 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

उपरोक्तानुसार योजना के कियान्वयन के सम्बन्ध में यथावश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीया,

(अनीता सी. मेश्राम),
प्रमुख सचिव।

संख्या– 382– (1)/60–1–2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2– अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3– समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4– समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
5– समस्त उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी/जिला परिवीक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
6– समस्त बाल कल्याण समिति, उ0प्र0 द्वारा जिला परिवीक्षा अधिकारी।
7– गार्ड फाइल।

(सुनील कुमार यादव)
अनु सचिव